न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ
बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आरएएस

प्रकरण सं.: 23/14/अपील

1. घीसालाल
2. प्रभात
3. हणमान
4. छाटूराम
   पुत्रगण सुरजा
5. ग्यारसीदेवी पुत्री सुरजा
   समस्त जाति गुर्जर निवासीगण रैवासा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

—अपीलांट्स

ब ना म

1. उमादेवी पत्नी गोविन्दा उर्फ गोमाराम
2. मदनलाल } पुत्रगण गोविन्दा उर्फ गोमाराम
3. बालूराम }
4. भंवरी देवी } पुत्रियां गोविन्दा उर्फ गोमाराम
5. ज्यानादेवी }
6. सन्तुदेवी }
   समस्त जाति गुर्जर निवासीगण रैवासा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
7. ग्राम पंचायत, रैवासा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

—रेस्पोंडेंट्स

अपील विरूद्ध ना.करण सं. 103 दिनांक ......बतस्दीक ग्राम पंचायत, रैवासा

उपस्थिति :

1. श्री मूलचन्द धायल, वकील अपीलांट्स की ओर से
2. श्री सुरेन्द्रपाल धायल वकील रेस्पो. सं. 4 ता 6 की ओर से

<u>निर्णय</u> दिनांक— 24.11.2014

1. अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि अपील संपदा भूमि खसरा नं. 1060 रकबा 16 बीघा 10 बिस्वा, 1173 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम रैवासा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है जो अपीलांट्स के पूर्वजों के नाम थी जिनके हाल खसरा नं. 2145, 2151, 2152, 2153, 2154, 2484 किता 6 कुल रकबा 5.03 है0 है। अपीलांट का सजरा खानदान निम्न प्रकार है:—

सुक्का(फौत)
↓
सुण्डा (अविवाहित फौत) — रूपाराम
↓
गोविन्दा उर्फ गोमाराम(फौत) — सुरजा(फौत)
↓ ↓
उमादेवी पत्नी, मदनलाल पुत्र, बालूराम पुत्र, भंवरी पुत्री, ज्याना पुत्री, संतु पुत्री, गोरादेवी पत्नी(फौत), घीसालाल पुत्र, प्रभात पुत्र, हणमान पुत्र, छोटूराम पुत्र, ग्यारसी पुत्री

वाके ग्राम रैवासा की उक्त संपदा जो अपील की पैरा सं. 1 में दर्ज है, अपीलांट के पूर्वज सुण्डा व रूपा के 1/2,? 1/2 राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। रूपाराम के दोहान्त हो जाने पर जरिये विरासत ना.करण गोविन्द पुत्र सुरजा के बराबर बराबर 1/4, 1/4

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

राजस्व रिकार्ड खातेदारी में दर्ज हो गई तथा रूपाराम की विरासत पर प्राप्त संपदा में सुरजा व गोविन्दा के देहान्त पर उनके वारिसान अपीलांट व रेस्पो. सं. 1 ता 6 के नाम विरासत ना.करण भरकर खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड हो गई। सुण्डा जो अविवाहित था उसकी मृत्यु पर ग्राम पंचायत, रैवासा द्वारा अवैधानिक तरीके से बिना किसी जांच पड़ताल किये दो व्यक्तियों के नाम ना.करण के कॉलम संख्या 16 में दर्ज कर गोविन्दा को सुण्डा का जायंदा पुत्र बताते हुए ना.करण संख्या 103 जिसके ना.करण भरने की तथा तस्दीक की कोई दिनांक प्राप्त प्रमाणित प्रति ना.करण में कोई दर्ज नहीं है, जबकि उक्त गोविन्दा रूपाराम का जायंदा पुत्र है, न कि सुण्डा का। सुण्डा की संपति के रूपा व उसके दोनों वारिश गोविन्दा व सुरजा बराबर के हकदार है लेकिन अकेले गोविन्दा के नाम से उक्त ना.करण दर्ज कर दिया गया तथा मौके पर भी आज सुक्का के पड़पोतो, पड़पोतियों अर्थात् गोविन्दा व सुरजा के वारिसान के बराबर बराबर कब्जा काश्त है लेकिन ना.करण सं. 103 के द्वारा जो गलत तरीके से बिना जांच के भरा व तस्दीक किया गया, के आधार पर दर्ज राजस्व रिकार्ड आज भी वहीं पड़ा है इसलिए उक्त ना. करण सं0 103 की अपील पेश करना आवश्यक हुआ जो इसलिए खारिज योग्य है कि सुण्डा पुत्र सुक्का अविवाहित नाऔलाद फौत हो चुका है जो रूपा का बड़ा भाई था। ग्राम पंचाायत रैवासा द्वारा रूपाराम के बड़े बेटे को सुण्डा का जायन्दा पुत्र बनाकर उक्त अवैधानिक ना.करण तस्दीक कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर राजस्व रिकार्ड को दूषित किया है जो अस्तित्व में रहने योग्य नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा सुण्डा के वारिसान की उस समय जांच करती तो उसी समय उक्त संपदा रूपाराम व उसके बाद उसके वारिसान गोविन्दा व सुरजा के बराबर बराबर होकर सही राजस्व रिकार्ड होता, मौके जांच किये बिना ही उक्त ना.करण भरा गया है। इसलिए विधि अनुसार सुण्डा की संपति के वारिसान अपीलांट्स व रेस्पो. सं. 1 ता 6 है जो बराबर बराबर मौके पर आज भी कब्जा काश्त हे जो रूपाराम व सुण्डा के वैध वारिसान है। उक्त ना.करण अवैध होने के कारण खारिज किया जाकर उक्त संपदा अपीलांट्स व रेस्पो. सं. 1 ता 6 के बराबर बराबर किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाना प्रार्थनीय है। गोविन्दा पुत्र रूपाराम व गोविन्दा उर्फ गोमा पुत्र सुण्डा एक ही व्यक्ति होना तथा उक्त गोविन्दा रूपा का जायंदा पुत्र होना ग्राम पंचायत के द्वारा जारी पहचान पत्र से भी प्रमाणित है इसलिए उक्त ना.करण खारजि होने योग्य है। अपीलांट्स को उक्त ना.करण की जानकारी दिनांक 30.03.2014 को पटवारी हल्का से मिलने से हुई तो दिनांक 31.03.2014 को तहसील कार्यालय दांतारामगढ में नकल आवेदन, पुरानी जमाबंदी व मिलान क्षेत्रफल का पेश किया। जिनकी नकल दिनांक 21.04.2014 को प्राप्त हुई। फिर अपने अधिवक्ता से संपर्क किया तो ना.करण संख्या 103 की नकल लेने के लिए कहा गया जिसका नकल आवेदन दिनांक 30.04.2014 को पेश करने पर दिनांक 01.05.2014 को नकल प्राप्त हुइ। फिर अधिवक्ता से संपर्क किया तो अपीलांट्स व रेस्पो. के पूर्वज सुरजा व उसकी पत्नी के मृत्यु प्रमाण पत्र व वारिस प्रमाण पत्र बनाकर लाने के लिये कहा गया। जिनकी कार्यवाही करने पर दिनांक 05.06.2014 को उक्त दस्तावेज पूर्ण होकर दिनांक 05.06.2014 को अपीलांट्स को प्राप्त हुए। फिर अपने अधिवक्ता से संपर्क किया तो एक पहचान पत्र गोविन्दा के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत से लाने के लिए कहा जो दिनांक 10. 06.2014 को ग्राम पंचायत, रैवासा द्वारा बनाकर दिया गया। इस प्रकार संपूर्ण दस्तावेज प्राप्त होते ही बिना किसी विलम्ब के अपील अंदर मियाद पेश की जा रही है तथा पूर्व की व दस्तावेज प्राप्ति में हुई देरी के लिए लिमिटेशन ऐक्ट की धारा 5 का आवेदन पृथक से पेश किया जा रहा है। ना.करण ग्राम पंचायत, रैवासा द्वारा तस्दीक होने के कारण माननीय न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में होने से अपील का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। अतः अपील अपीलांट्स पेश

कर निवेदन है कि अपीलांट्स की अपील स्वीकार कर ना.करण संख्या 103 दिनांक ..... को निरस्त किया जाकर अपील संपदा अपील मेमो में वर्णित पैरा सं0 1 में दर्ज का राजस्व रिकार्ड, जो उक्त ना.करण के जरिये गोविन्दा पुत्र सुण्डा के नाम दर्ज हुआ था, को बराबर बराबर अपीलांट्स व रेस्पो. सं0 1 ता 6 के नाम किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाना प्रार्थनीय है। अपील मेमो के साथ जमाबंदी संवत् 2044 से 2047, मिलान क्षेत्रफल, जमाबंदी संवत् 01.04.94 से 31.03.2014, जमाबंदी संवत् 2066 से 2069, ना.करण संख्या 103 ग्राम पंचायत, रैवासा, वारिस प्रमाण पत्र सुरजा व गौरादेवी, पहचान पत्र गोविन्द की प्रमाणित प्रतियां व असल पेश किये गये।

2. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पा. सं. 1 ता 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पो. सं. 4 ता 6 की ओर से वकील श्री सुरेन्द्रपाल धायल उपस्थित हुए।
3. बहस वकील उभय पत्र सुनी गई। वकील अपीलांट्स ने बहस के दौरान अपील मेमो के तथ्यों को दोहराया। वकील रेस्पो. ने बहस के दौरान अपील आपतियां पेश नहीं कर अपील मेमा के तथ्यों को स्वीकार किया गया।
4. हमने उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। विलम्ब को कन्डोन किये जाने हेतु मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहत आवेदन मय शपथ पत्र पेश किये गये जिस पर वकील रेस्पो. द्वारा आपति व्यक्त नहीं की गई है इसलिए आवेदन स्वीकार कर अपील पेश किये जाने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है। ग्राम पंचायत, रेवासा द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 10.06.2014 के अवलोकन से जाहिर है कि गोविन्दा पुत्र रूपा व गोविन्दा उर्फ गोमा पुत्र सुंडा व उक्त दोनों नाम का एक ही व्यक्ति है जो जाइन्दा पुत्र रूपा का बताया गया है। जमाबंदी संवत् 2044–47 में विवादित आराजियात गोविन्दा पुत्र सुण्डा हि. 1/2 सुरजा, गोविन्दा पि. रूपा हि. 1/2 समभाग कौम गुजर सा.देह दर्ज रिकार्ड है जो वर्तमान जमाबंदी संवत् 2066–69 में उनके वारिसान के नाम दर्ज रिकार्ड है। ना. करण सं. 103 के अवलोकन से स्पष्ट हे कि खातेदार सुण्डा के फौत होने पर उसका लड़का गोविन्दा के नाम खातेदारी अधिकार स्वीकार की गई है। इस प्रकार गोविन्दा उर्फ गोमा पुत्र सुण्डा व गोविन्दा पुत्र रूपा के सम्बन्ध में पहचान के अतिरिक्त अन्य दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये गये है जिससे यह पूर्णतया साबित हो कि गोविन्दा उर्फ गोमा पुत्र सुण्डा व गोविन्द पुत्र रूपा एक ही व्यक्ति हों। इस सम्बन्ध में विस्तृत जांच किया जाना न्यायोचित है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर ना.करण सं. 103 बतस्दीक ग्राम पंचायत, रैवासा खारिज किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार, दांतारामगढ को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वारिसान के सम्बन्ध में विधि अनुसार विस्तृत जांच कर वास्तविक वारिसान के नाम ना.करण पुनः भरवाकर तस्दीक करें।
5. यह निर्णय आज दिनांक 24.11.2014 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ